तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.43/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
18–8–2025	पत्रावली पेश हुई। श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी शेरसिंह पुत्र श्री नरपत सिंह राजपूत, खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स श्री करणी स्वीट् एण्ड नमकीन, भादूरीया कॉलोनी, बरलुट रोड़, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही, स्थाई पताः ग्राम पोस्ट–सारुण्डा, तहसील– नोखा, जिला– बीकानेर अनुपस्थित।	

आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा दिनांक 04–3–2025 को मैसर्स श्री करणी स्वीट् एण्ड नमकीन, भादूरीया कॉलोनी, बरलुट रोड़, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता शेरसिंह पुत्र श्री नरपत सिंह राजपूत से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) का नमूना संख्या S-2575 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./887/Act/2025/977 दिनांक 24–3–2025 में अमानक (sub-standard) एवं food containing extraneous matter (foreign fat) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 54 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12–8–2025 को प्रतिवादी शेरसिंह ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया। जिसने अनुरोध किया कि यह उसका प्रथम अपराध है व जिस अवस्था में मिल्क केक खरीदा था उसी अवस्था में विक्रय किया है, इसमें मैनें मिलावट नही की है। अतः कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे।

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 04–3–2025 को समय 3–05 पी.एम. पर फर्म मैसर्स श्री करणी स्वीट एण्ड नमकीन, बरलुट रोड़, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी शेर सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह राजपूत उपस्थित मिले। श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स श्री करणी स्वीटस् एण्ड नमकीन, भादूरिया कॉलोनी, बरलुट रोड़, कालन्द्री के निरीक्षण के दौरान मैसर्स श्री करणी स्वीट एण्ड नमकीन, बरलुट रोड़, कालन्द्री की दुकान के अन्दर रैक में आम जन के बिक्री हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) लगभग 10 किलोग्राम में मिलावट का शक होने पर खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की सूचना प्रपत्र 5ए में

.......लगातार

न्यायालय मुख्य जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

मुख्य. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.43/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	प्रतिवादी विक्रेता शेर सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह राजपूत को गवाह श्री रामसिंह पुत्र श्री सरदारसिंह, निवासी– सादुलपुरा, सिरोही के समक्ष भरकर दी तथा फर्म मैसर्स श्री करणी स्वीट्स एण्ड नमकीन, बरलुट रोड़, कालन्द्री की दुकान में रैक में आम जन के विक्रय हेतु रखे हुए लगभग 10 किलोग्राम खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) में से 2 किलोग्राम मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) को साफ, सूखे, खाली भिगोनें में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 640/– (अक्षरे रुपये छः सौ चालीस मात्र) प्रतिवादी विक्रेता शेर सिंह को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने खदीदशुदा मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) को चार साफ व खाली सुखी शीशीयों में अलग अलग बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक नमूना शीशी में 40–40 बूंदे फार्मलीन की डालकर इन चारों शीशीयों को ढक्कन से एयर टाईट बन्द किया। श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमानुसार लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2575, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) आदि अंकित कर इन लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता शेरसिंह एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा उक्त चारों नमूना शीशीयों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाकर चारों नमूना शीशीयों को अलग अलग कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सील चपडी किया। तत्पश्चात् चारों सीलबन्द नमूनों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता शेरसिंह एवं गवाह तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 06–3–2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबुलाल मीणा, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 04–3–2025 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मैसर्स श्री करणी स्वीट्स, भादूरीया कॉलोनी, बरलुट रोड़, कालन्द्री में प्रतिवादी ......लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट ★ सिरोही (राज०) ★

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.43/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

विक्रेता शेर सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह राजपूत से खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) के नमूना संख्या S-2575 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./887/Act/2025/977 दिनांक 24–3–2025 में खाद्य पदार्थ मिल्क केक मिल्क (खोया बेस्ड स्वीट्स) का नमूना अमानक (sub-standard) एवं food containing extraneous matter (foreign fat) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी शेर सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह राजपूत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स श्री करणी स्वीट्स एण्ड नमकीन, भादूरिया कॉलोनी, बरलुट रोड़, कालन्द्री द्वारा अमानक (sub-standard) एवं food containing extraneous matter (foreign fat) खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 54 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 54 के तहत अमानक (sub-standard) एवं food containing extraneous matter (foreign fat) खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) के विक्रय हेतु प्रतिवादी शेर सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह राजपूत, खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स श्री करणी स्वीट् एण्ड नमकीन, भादूरीया कॉलोनी, बरलुट रोड़, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही, स्थाई पताः ग्राम पोस्ट– सारुण्डा, तहसील– नोखा, जिला– बीकानेर पर राशि रुपये 35,000/– (अक्षरे रुपये पैतीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी शेर सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह राजपूत, खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स श्री करणी स्वीट् एण्ड नमकीन, भादूरीया कॉलोनी, बरलुट रोड़, कालन्द्री को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 23–9–2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.